<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 का कार्यान्वयन</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 के कार्यान्वयन और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए नालको ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। यथा -
इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग और लोक अधिकारियों द्वारा अपनी गतिविधियों के बारे में समयानुसार और प्रभावी प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सटीक जानकारी का उल्लेख करने, कर्मचारियों की समझ विकसित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं का नियमित रूप से विकास और आयोजन; विशेष रूप से अपने नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रासंगिक और आसानी से समझने योग्य मार्गदर्शिका और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके उन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, इसके उद्देश्यों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए प्रशिक्षण देना।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 20 से 22 जनवरी 2021 तक, कार्यपालको और गैर-कार्यपालकों दोनों सहित 25 कर्मचारियों को प्रधान निदेशक, लोक प्रशासन संस्थान, बैंगलोर के संकाय सहयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 तक, अब तक कार्यपालकों और गैर-अधिकारियों सहित 261 कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।